न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सोनभद्र

वारण्ट एण्ड सम्मन केसेज संख्या–83 सन् 2023

देव नरायण बनाम सुजीत कुमार व अन्य

थाना–कोन, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रकः–

02.02..2024

पत्रावली तलबी आदेश हेतु नियत है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी देव नरायण पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पिपरखाड़, थाना कोन, जनपद सोनभद्र की ओर से विपक्षीगण सुजीत कुमार, चन्दू यादव तथा छोटू के विरूद्ध दाखिल परिवाद पत्र का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी दिनांक 10.04.2023 को समय करीब 07 बजे शाम को अपने रिश्तेदार छोटे भाई के लड़के जो रमना में बीमार था, के दवा इलाज के लिए आठ हजार रूपये लेकर रमना पहुंचाने जा रहा था तो कुड़वा गोरदह के पास पहुंचा ही था कि वहीं पर कुछ लोग थे जो जबरदस्ती उसकी मोटर साइकिल रोक लिये जिसमें सुजीत पुत्र मिहिर व छोटू पुत्र विगन यादव व चन्दू पुत्र अरूण यादव सभी एक राय होकर यह कहते हुए कि परिवादी एक्सीडेंट करके भागा जा रहा है, उन लोगों ने परिवादी को बुरी तरीके से मारा तथा उसका आठ हजार रूपये छीन लिये। जब इसकी सूचना परिवादी के घर वालों को हुई तो परिवादी की माता मुनेश्वरी देवी एवं भाई राकेश वहां पर पहुंचे तो विपक्षीगण के द्वारा उन लोगों को गालियां दिये तथा लात डण्डा एवं मुक्का झापड़ से मारने लगे। चीख पुकार सुनकर अगल बगल के लोगों ने बीच बचाव किया। परिवादी ने घटना की सूचना पुलिस को दिया। पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर यह परिवाद न्यायालय में दाखिल किया गया।

परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा–200दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादी ने स्वयं को परीक्षित कराया है तथा धारा–202दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत सी0डब्लू0–1 मुनेश्वरी देवी, सी0डब्लू0–2 राजेश एवं सी0डब्लू0–3 के रूप में राज कुमार को परीक्षित कराया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सम्बोधित प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री की रसीद, चिकित्सकीय परीक्षण आख्या तथा जाति प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200दं0प्र0सं0 में परिवाद पत्र में वर्णित घटना का समर्थन किया गया है तथा परिवादी साक्षीगणों द्वारा भी अपने–अपने बयानों के माध्यम से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों एवं परिवादी द्वारा दिये गये बयान का समर्थन किया गया है।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में किये गये कथनों एवं धारा–200 दं0प्र0सं0 में शपथपूर्वक दिये गये बयानों व समर्थन में परीक्षित साक्षीगण के बयानों तथा पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया यह तथ्य साबित होता है कि विपक्षीगण सुजीत कुमार, चन्दू यादव तथा छोटू के द्वारा दिनांक 10.04.2023 को समय करीब 07 बजे शाम परिवादी एवं उसकी मां तथा उसके भाई को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां एवं जान से मारने की धमकी दी गयी तथा उन्हें मार पीट कर उपहति कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण सुजीत कुमार, चन्दू यादव तथा छोटू के द्वारा प्रथम दृष्टया धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(2)(v-a) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। तद्नुसार विपक्षीगण उपरोक्त अपराध के विचारण के लिए आहूत किए जाने योग्य हैं।

–:आदेशः–

अभियुक्तगण सुजीत कुमार, चन्दू यादव तथा छोटू को धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(2)(v-a) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है।

परिवादी द्वारा धारा–204दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पैरवी अन्दर सप्ताह किये जाने पर अभियुक्तगण को जरिए समन दिनांक 15.03.2024 के लिए तलब किया जाता है।

(आबिद शमीम),
दिनांकः 02.02.2024 **विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र**

Digitally signed by ABID SHAMIM
Date: 2024.02.02 12:46:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra